

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक:- 92/2013 नि0फौ0

संस्थित दिनांक 15-04-2013

किशनसिंह पुत्र श्रीलाल सिकरवार, निवासी ग्राम नोनेरा थाना मालनपुर, तहसील गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)।

-----निगरानीकर्ता

बनाम

लोकेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह धाकरे, निवासी ग्राम नोनेरा, थाना मालनपुर, परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानीकर्ता द्वारा श्री एम.पी.एस.राणा अधिवक्ता।
गैरनिगरानीकर्ता द्वारा श्री पी.एन.भट्टेले अधिवक्ता।

//आ दे श//

//आज दिनांक 04-02-2016 को पारित किया गया//

01. निगरानीकर्ता/अनावेदक किशनसिंह की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदनपत्र का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें कि निगरानीकर्ता के द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 07/13 x145 जा0फौ0 लोकेन्द्र वि0 किशनसिंह में पारित आदेश दिनांक 06.04.2013 से व्यथित होकर पेश किया गया है जिसमें कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी के द्वारा धारा 145 जा0फौ0 के प्रकरण में अंतरिम आदेश अंतर्गत धारा 146(1) दं.प्र.सं. पारित करते हुए विवादित सर्वे नम्बरों में स्थित फसलों को कुर्क कर सुपुर्दगी पर देने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्ता के द्वारा वर्तमान निगरानी पेश की गई है। सुविधा की दृष्टि से आगे के पदों में निगरानीकर्ता को अनावेदक तथा प्रतिनिगरानीकर्ता को आवेदक के रूप में संबोधित किया जाएगा।

02. वर्तमान निगरानी के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिनिगरानी कर्ता/आवेदक लोकेन्द्रसिंह के द्वारा ग्राम नोनेरा थाना मालनपुर तहसील गोहद स्थित भूमि

सर्वे क्रमांक 2986 रकवा 0.950 आरे, सर्वे क्रमांक 2990 रकवा 0.180 आरे को निगरानीकर्ता से दस वर्ष पूर्व कय कर उस पर उसका कब्जा होकर उक्त भूमि पर उसके द्वारा सरसों की फसल बोई गई थी जो कि फसल खड़ी थी। उस पर उसके द्वारा ही खेती कास्त करना बताया है। दिनांक 19.03.2013 को अनावेदक उक्त खेतों पर आया और आवेदक के साथ झगड़ा विवाद करने लगा। इस संबंध में आवेदक के द्वारा धारा 145 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद के समक्ष आवेदनपत्र पेश किया गया जिसमें एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 146(1) दं.प्र.सं. का पेश कर उक्त भूमि पर खड़ी सरसों की फसल कुर्क कर सुपुर्दगी पर दिये जाने बावत् आवेदनपत्र पेश किया गया। उपरोक्त संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद के द्वारा पुलिस थाना मालनपुर से प्रतिवेदन बुलाया गया। तत्पश्चात् उभय पक्षों को सुने जाने के उपरांत धारा 146(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत कब्जे के संबंध में विवाद की स्थिति होना मानते हुए फलस को कुर्क कर उसे रिसीवर को सुपुर्दगी में दिये जाने बावत् आदेश दिया गया है।

03. निगरानीकर्ता के द्वारा वर्तमान निगरानी मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी के द्वारा आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यात्मक भूल की गई है। विवादित भूमि पर प्रतिनिगरानीकर्ता का न तो कोई कब्जा है और न ही उसे उस पर कोई अधिकार प्राप्त है और उस पर निगरानीकर्ता के द्वारा ही फसल बोई गई है और उसके द्वारा बोई फसल खड़ी है। इस संबंध में भी विचारण न्यायालय के द्वारा उचित रूप से विचार किए बिना, बिना किसी औचित्य के विधि के विरुद्ध जाकर आदेश पारित किया गया है। निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 06.04.2013 को आपस्त किये जाने का निवेदन किया है।

04. प्रतिनिगरानीकर्ता ने विचारण न्यायालय के आदेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें कोई हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कारण न होना बताते हुए निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया है।

05. उपरोक्त निगरानी के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह हो जाता है कि—
क्या विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 06.04.2013 वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

//निष्कर्ष के आधार//

06. निगरानीकर्ता अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि ग्राम नोनेरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2986 रकवा 0.950 आरे तथा सर्वे क्रमांक 2990 रकवा 0.180 आरे उनके भू-स्वामित्व एवं आधिपत्य का है और उक्त भूमियों पर उसके द्वारा ही सरसों

की फसल बोई गई है। उस पर प्रतिनिगरानीकर्ता का कोई आधिपत्य या अधिकार नहीं है। इस संबंध में प्रतिनिगरानीकर्ता के द्वारा गलत आधारों पर धारा 145 जा0फौ0 का आवेदनपत्र पेश किया गया है और उसके आवेदनपत्र पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद के द्वारा उक्त भूमि पर खड़ी सरसों की फसल को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त किये जाने बावत् जो आदेश दिया गया है वह उचित नहीं है। जबकि इस संबंध में प्रतिनिगरानीकर्ता अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क में व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमियाँ उनके द्वारा दस वर्ष पूर्व विधिवत प्रतिफल देकर क़य की गई है और उस पर उनका कब्जा होकर खेती हुई है। निगरानीकर्ता के द्वारा बोई गई काटना चाहता है और विवादित भूमियों के संबंध में विवाद एवं झगडा-फसाद किया जाता है और उनके कब्जे पर हस्तक्षेप कर उस पर खड़ी फसल को जबरदस्ती काटने हेतु प्रयासरत थे इस कारण आवेदनपत्र पेश किया गया जिसमें कि एस.डी.एम के द्वारा फसल कुर्क कर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया गया है।

07. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया, अभिलेख का अवलोकन किया गया एवं इस संबंध में वैधानिक प्रावधानों पर भी विचार किया गया। धारा 145 दं.प्र.सं. यह प्रावधान करता है कि— अनुविभागीय दण्डाधिकारी को भूमि या जल के संबंध में विवादों से परिशांति भंग होने की संभावना पर किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर कि ऐसा विवाद विद्यमान है जिससे कि परिशांति भंग होना संभाव्य है पक्षकारों को उपस्थिति बावत् निर्देशित कर सकता है और विवाद की विषयवस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्यों के बारे में अपने दावों का लिखित कथन पेश करने हेतु निर्देशित कर सकता है। धारा 146(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी को मामले को आपातिक समझने अथवा पक्षकारों के कब्जे के संबंध में कि विवाद की विषयवस्तु पर किस का कब्जा है तो वह विवाद की विषयवस्तु को तबतक के लिए कुर्क कर सकता है, जब तक कि इस संबंध में सक्षम न्यायालय के द्वारा पक्षकारों के अधिकारों की अवधारणा नहीं कर दी जाती। सम्पत्ति को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है।

08. अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद के द्वारा की गई कार्यवाही का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में प्रतिनिगरानीकर्ता लोकेन्द्रसिंह के द्वारा धारा 145 दं.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदनपत्र पेश करने के पश्चात् थाना प्रभारी मालनपुर के द्वारा एस0डी0एम0 गोहद को प्रतिवेदन पेश किया गया है जिसमें कि विवादित भूमियों के संबंध में विवाद की स्थिति होना पाते हुए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है। वादग्रस्त भूमियों पर पक्षकारों के मध्य उस पर कब्जे को लेकर विवाद विद्यमान होना स्पष्ट होता है एवं उक्त विवाद की स्थिति होने के संबंध में स्पष्ट रूप से थाना प्रभारी मालनपुर के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में भी उल्लेख किया है।

09. निश्चित तौर से धारा 145 दं.प्र.सं. के अंतर्गत विचार करते हुए कब्जे के संबंध में मुख्य रूप से विचार किया जाना उचित है और कब्जे के संबंध में पक्षकारों के मध्य विवाद होना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय दण्डाधिकारी के द्वारा विवादित स्थल पर उभयपक्षों के मध्य कब्जे के संबंध में विवाद होना और इस परिप्रेक्ष्य में विवादित स्थल पर बोई हुई फसल को कुर्क कर उस पर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश देने के संबंध में जो आदेश दिया गया है वह मनमाने ढंग से पारित न करते हुए शांतिभंग की संभावना को देखते अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

10. यह भी उल्लेखनीय है कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी के द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश के स्वरूप का है, इस संबंध में अंतिम रूप से निराकरण होना अभी शेष है। मौके पर शांति भंग होने की संभावना और इस कारण फसल को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश देने के संबंध में दिया गया आदेश अवैध, औचित्यहीन अथवा मनमाना होना नहीं कहा जा सकता है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने अथवा फेरबदल करने का कोई आधार अथवा कारण परिलक्षित नहीं होता है।

11. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 06.04.2013 को स्थिर रखा जाता है। निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत वर्तमान निगरानी उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्वीकार योग्य न होने से निरस्त की जाती है।

12. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय के बुलाए गए सभी अभिलेख वापिस हो।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड